न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 28 / 2021 | दायर दिनांकः 26 / 07 / 2021

उनवान

1. काशीराम आयु 48 वर्ष पुत्र धूल्या उर्फ धूलीलाल जाति मेघवाल निवासी गोविन्दपुरा तहसील अटरू जिला बारा (राज०)।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश | दिनाकः 06 / 10 / 2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल गोविन्दपुरा पटवार हल्का खेडलीगंज तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 85 का ख0नं0 130 का रकबा 1.21 है0, ख0 नं0 307 का रकबा 0.06 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.27 है0 आराजी प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का नाम काशीराम के स्थान पर घांसी व प्रार्थी के पिता का नाम धूलीलाल के स्थान पर धूल्या गलत दर्ज कर दिया हैं प्रार्थी के दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, बैंक पास बुक, पार्षद नगरपालिका अटरू के प्रमाण पत्र में प्रार्थी का सही नाम काशीराम व उसके पिता का सही नाम धूलीलाल दर्ज है। इसलिए प्रार्थी का नाम घांसी के स्थान पर सही नाम काशीराम तथा उसके पिता का नाम धूल्या के स्थान पर सही नाम धूलीलाल दर्ज किया जावे।

बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम घांसी के स्थान पर सही नाम काशीराम व उसके पिता का नाम धूल्या के स्थान पर सही नाम धूलीलाल दर्ज करवाया जाना सम्भव नहीं है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित

आराजी में प्रार्थी व उसके पिता का नाम सही दर्ज नही किये गये तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा, अस्तु प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम घांसी के स्थान पर सही नाम काशीराम व उसके पिता का नाम धूल्या के स्थान पर सही नाम धूलीलाल दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम लाला एवं पिता का नाम भौरीलाल, ग्राम उम्मेदगंज की खाता संख्या 49 में प्रार्थी का नाम घांसी के स्थान पर सही नाम काशीराम व उसके पिता का नाम धूल्या के स्थान पर सही नाम धूलीलाल दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत **pw 1** का शपथ पत्र पेश किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी ग्राम एवं माल गोविन्दपुरा पटवार हल्का खेडलीगंज तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 85 का ख0नं0 130 का रकबा 1.21 है0, ख0 नं0 307 का रकबा 0.06 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.27 है0 में प्रार्थी का नाम घांसी के स्थान पर सही नाम काशीराम व उसके पिता का नाम धूल्या के स्थान पर सही नाम धूलीलाल दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रिकार्ड एवं साक्ष्य का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2073—2076 अनुसार ग्राम गोविन्दपुरा के खाता संख्या 85 का ख0नं0 130 का रकबा 1.21 है0, ख0 नं0 307 का रकबा 0.06 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.27 है0 में प्रार्थी का नाम सहखातेदार के रूप में घांसी पुत्र धुल्या हिस्सा 1/2 दर्ज है। अन्य प्रस्तुत रिकार्ड आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड में प्रार्थी का नाम काशी राम, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की पास बुक में प्रार्थी का नाम कांशी राम पुत्र धूली लाल दर्ज है। तथा कार्यालय नगर पालिका अटरू के प्रमाण पत्र दिनांक 20.07.2021 अनुसार प्रार्थी का नाम घांसी पुत्र धूल्या का सही नाम काशी राम पुत्र धूली लाल है तथा इन नामों का अन्य कोई व्यक्ति उक्त ग्राम में नही रहता है।

प्रस्तुत रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का सही नाम काशी राम तथा प्रार्थी के पिता का सही नाम धूली लाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल गोविन्दपुरा पटवार हल्का खेडलीगंज तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 85 का ख0नं0 130 का रकबा 1.21 है0, ख0 नं0 307 का रकबा 0.06 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.27 है0 में सहखातेदार घांसी पुत्र धुल्या के स्थान पर काशी राम उर्फ घांसी पुत्र धूली लाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां